

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2017

**No. 16/2017- Union Territory Tax**

**G.S.R. 1292(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and sub-section (2) of section 10 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act) read with section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 2/2017-Union Territory Tax, dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 648(E), dated the 27<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, for the words “seventy-five lakh rupees”, the words, “one crore rupees” shall be substituted.

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

**सं. 34/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)**

**सा.का.नि. 1293(अ).**—संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का.नि. 710(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I – 2.5% में,-

- (i) क्रम सं. 29 में कालम (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “0802, 0813”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम संख्या 30 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा,-

“30 (क)	0804	आम कटे हुए, सुखाए हुए”;
---------	------	-------------------------

- (iii) क्रम संख्या 99 और संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, :-

“99 (क)	1905 या 2106	खाखरा, प्लेन चपाती/रोटी”;
---------	--------------	---------------------------

- (iv) क्रम संख्या 101 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा;

“101 (क)	2106 90	नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं, उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों, और-
----------	---------	--

		(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या (ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उनसे भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो]”;
--	--	---

(v) क्रम संख्या 164 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि

“(क) केरोसिन ऑइल पीडीएस,

(ख) जहाज़ों और यानों में उपयोग के लिए निम्नलिखित बंकर फ्यूलस अर्थात् :

i. आईएफओ 180 सीएसटी

ii. आईएफओ 380 सीएसटी”

को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम संख्या 181 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“181 (क)	30	औषधि द्रव्य (जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी या जैव रसायन प्रणालियों में प्रयुक्त औषधि-द्रव्य भी है) जिनका विनिर्माण अनन्य के रूप से, यथास्थिति, औषधि और प्रसारण सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकृत पुस्तकों या भारतीय होम्योपैथी भेषज-संग्रह या संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या जर्मन होम्योपैथी भेषज-संग्रहों में वर्णित फार्मूलों के अनुसार किया जाता है और ऐसी पुस्तकों या भेषज संग्रहों में यथा-विनिर्दिष्ट नाम के अधीन बेचे जाते हैं।”;
----------	----	--

(vii) क्रम संख्या 187 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“187 (क)	3915	प्लास्टिक के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स”;
----------	------	---

(viii) क्रम संख्या 188 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“188(क)	4004 00 00	रबर के वेस्ट पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स (हार्ड रबर से भिन्न)”;
---------	------------	---

(ix) क्रम संख्या 191 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“191 क	4017	हार्ड रबर के वेस्ट एंड स्क्रेप”
--------	------	---------------------------------

(x) क्रम संख्या 198क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"198 ख	4707	पेपर या पेपर बोर्ड के रिकवर्ड वेस्ट एंड स्कैप"
--------	------	--

- (xi) क्रम संख्या 201क और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।
- (xii) क्रम सं. 218 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"218क	5605 0010	रीयल जरी श्रेड (गोल्ड) या सिल्वर श्रेड, जो टेक्सटाइल श्रेड से युक्त हो"
-------	-----------	---

- (xiii) क्रम सं. 219 में, कॉलम (2) में अंक "5705" के स्थान पर "5702, 5703, 5705" अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा,
- (xiv) क्रम संख्या 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा :-

"228क	7001	ग्लास के क्लेट या अन्य वेस्ट या स्कैप" ;
-------	------	--

- (xv) क्रम संख्या 234 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"234क	84 या 85	ई-वेस्ट स्पष्टीकरण:- इस प्रविष्टि के उद्देश्य के लिए ई-वेस्ट का मतलब है कि, ई-वेस्ट (मैनेजमेंट) नियम 2016 (भारत के राजपत्र में प्रकाशित सा.का.नि. 338(अ) दिनांक 23 मार्च, 2016) की अनुसूची सूचीबद्ध इलेक्ट्रीकल तथा इलेक्ट्रानिक उपकरण, जिसमें अवयव, उपभोज्य, भाग तथा स्पेयर जो इन उपकरणों को परिचालन के योग्य बनाते हैं";
-------	----------	---

- (xvi) क्रम संख्या 263क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"264	कोई अध्याय	बायोमॉस त्रिक्वेट्स"
------	------------	----------------------

(ख) अनुसूची II-6% में, -

(i) क्रम सं. 16 में, कॉलम (3) में शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, आम और मँगो स्टीन, सूखे हुए" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक "खजूर (मुलायम या कठोर), अंजीर, अनन्नास, एवोकैडो, अमरूद, और मँगो स्टीन, सूखे हुए" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम संख्या 17 में, कॉलम (3) में, शब्द और अंक "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, "अध्याय 8 के सूखे फल [सूखी इमली और सूखे चेस्टनट (सिंघाडा) चाहे ये छिलका युक्त हों या नहीं, के अलावा]", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम संख्या 46 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि,

"नमकीन, भुजिया, मिक्चर, चबेना और इसी प्रकार के अन्य उत्पाद जो कि तत्काल खाए जा सकते हैं [भुना हुआ चना के अलावा], जो कि यूनिट कंटेनरों में बंद हों और

(क) जिन पर पंजीकृत ब्रांड नाम लिखा हो; या

(ख) ऐसा ब्रांड नाम लिखा हो जिस पर किसी कानून के न्यायालय में दावा किया जा सकता हो या अधिकार को लागू कराया जा सकता है [उन्से भिन्न जहां कि ऐसे ब्रांड नाम से संबंधित कार्रवाई योग्य किसी दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का अनुबंध में यथा उल्लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iv) क्रम संख्या 111 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 132 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“132क	5401	मानव निर्मित फिलामेंट के सिलाई धागे, चाहे खुदरा विक्री के लिए हों या नहीं
132ख	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	संश्लेषित अथवा आर्टिफिशियल फिलामेंट यार्न
132ग	5508	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के सिलाई धागे
132घ	5509, 5510, 5511	मानव निर्मित स्टेपल फाइबर्स के यार्न

(vi) क्रम संख्या 137 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्दों और अंकों “ जैसे टैक्सटाइल धागा का समिश्रण वाला जरी धागा (स्वर्ण) और रजत धागा,” को निरसित किया जायेगा।

(ग) अनुसूची III में – 9%

(i) क्रम संख्या 16 में, कॉलम (3) में “पिज्जा ब्रेड” शब्दों के स्थान पर “पिज्जा ब्रेड, खाखरा, प्लेन चपाती या रोटी” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ii) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में “तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों” शब्दों के स्थान पर “तुरंत खाये जा सकने वाले पदार्थों, खाखरा” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(iii) क्रम संख्या 54 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“54क	3213	पोस्टर कलर” ;
------	------	---------------

(iv) क्रम सं. 63 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि, “माडलिंग पेस्ट, जिसमें जो बच्चों के खेलने के लिए हैं वे भी आते हैं; “दंतमोम” या “दंत छाप यौगिकों” के रूप में ज्ञात निर्मितियां, जो फुटकर विक्रय के लिए सेटों में, पैकिंगों में या प्लेटों में, अश्व नाल के आकार में डंडियों या वैसे ही रूप में रखी गई है, दंत चिकित्सा के उपयोग के लिए (निष्ठापित जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट के प्लास्ट के आधार वाली अन्य निर्मितियां” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) क्रम संख्या 102 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा,

(vi) क्रम संख्या 114 में, कॉलम (3) में शब्दों “ रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स (हार्ड रबर से भिन्न) तथा उनसे प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स” के स्थान पर शब्दों “ रबर के वेस्ट, पेयरिंग्स एंड स्क्रेप्स (हार्ड रबर से भिन्न) से प्राप्त पाउडर तथा ग्रेनुअल्स” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(vii) क्रम संख्या 158 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 159 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों “सिंथेटिक फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 160 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के शब्दों “कृत्रिम फिलामेंट यार्न के अलावा अन्य सभी सामान” को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(x) क्रम संख्या 164 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xi) क्रम संख्या 165 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xii) क्रम संख्या 177 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"177क	6802	निम्न को छोड़कर सभी वस्तु :- iii. मार्बल और ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं iv. मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वजन, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान।
-------	------	--

(xiii) क्रम संख्या 188 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(xiv) क्रम संख्या 303 और उससे प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"303क	8305	लूज लीप बांडर्स या फाइल्स की फिटिंग्स लेटर क्लिप्स, लेटर कार्नेस, पेपर क्लिप्स, इंडेक्सिंग टैक्स, और इसी प्रकार की कार्यालयीय वस्तुएं, जो कि बेस मेटल से बनी हों; स्टेपल, स्ट्रिप्स (उदाहरणार्थ कार्यालय, अपहोल्स्ट्री, पैकेजिंग के लिए) बेस मेटल के";
-------	------	--

(xv) क्रम सं. 308 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"308क	84	फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, जिनकी शक्ति 15 एचपी से अधिक न हो, में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स
308ख	84 या 85	विद्युत चालित पम्पों, जो कि मुख्य रूप से चल निकालने के लिए तैयार किए जाते हों जैसे कि सेंट्रीफ्यूबल पम्प (हॉर्जिटल या वर्टिकल), डीप ट्यूबवेल टर्बाइन पम्प, सबमर्सिबल पम्प, एक्सल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो वर्टिकल पम्प में एक मात्र रूप से या मुख्य रूप से प्रयोग में आने वाले उपयुक्त पार्ट्स";

(xvi) क्रम सं. 369 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"369क	8483	प्लेन शाफ्ट बियरिंग";
-------	------	-----------------------

(घ) अनुसूची IV - 14%

(i) क्रम संख्या 23 में, कॉलम (3) में शब्द "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स" के स्थान पर शब्द और कोष्ठक, "पैन्स या इसी प्रकार की वस्तुएं या पैकिंग्स [पोस्टर कलर से भिन्न]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) क्रम संख्या 34 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा।

(iii) क्रम संख्या 50 में कॉलम (3) में शब्दों "वेस्ट एंड स्क्रीप समेत" के स्थान पर "वेस्ट एंड स्क्रीप के अलावा" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(iv) क्रम संख्या 70 में, कालम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“मार्बल या ग्रेनाइट की सभी वस्तुएं [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान के अलावा]”;

(v) क्रम संख्या 112 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(vi) क्रम संख्या 135 में, कॉलम (3) में, “और प्लेन साफ्ट वियरिंग” शब्दों को निरसित किया जाएगा।

(ड.) अनुबंध में, (ख) के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा:—

“बशर्ते कि, यदि ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही किए जाने के लिए दावा या प्रवर्तनीय अधिकार रखने वाला व्यक्ति और यूनिट कंटेनरों में ऐसे माल को पैक करने वाले दो अलग-अलग व्यक्ति हैं तो वह व्यक्ति जो कि ब्राण्ड नेम पर दावा कर सकता है या जिसका प्रवर्तनीय अधिकार है ऐसे माल की पैकिंग करने वाले व्यक्ति के क्षेत्राधिकार वाले केंद्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार वाले संघ राज्यक्षेत्र अधिकारी के पास इस आशय का शपथ पत्र जमा करेगा कि वह स्पष्टीकरण (ii)(क) में यथा परिभाषित ऐसे ब्राण्ड नेम पर अपने कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग करता है; और उसने उस व्यक्ति [जो कि ऐसे यूनिट कंटेनरों में ऐसे ब्राण्ड नेम वाले माल की पैकिंग करता है] को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वह ऐसे यूनिट कंटेनरों पर अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं में तथा न मिटने वाली स्याही से यह मूद्रित कर सकेगा कि ऐसे ब्राण्ड नेम पर वह [जिसके पास ब्राण्ड नेम का अधिकार होगा] ऐसे ब्राण्ड नेम पर कार्यवाही योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है। ”

[फा. सं. 354/117/2017-टीआरयू (भाग. III)]

रूचि विष्ट, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 27/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 22 सितंबर, 2017, जिसे सा.का.नि 1195(अ), दिनांक 22 सितंबर, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 13th October, 2017

No. 34/2017- Union Territory Tax (Rate)

**G.S.R. 1293(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification,—

(A) in Schedule I - 2.5%,—

(i) in S. No. 29, for the entry in column (2), the entry, “0802, 0813”, shall be substituted;

(ii) after S. No. 30 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“30A	0804	Mangoes sliced, dried” ;
------	------	--------------------------

(iii) after S. No. 99 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“99A	1905 or 2106	Khakhra, plain chapatti or roti” ;
------	-----------------	------------------------------------

(iv) after S. No. 101 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“101A	2106 90	Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form, other than those put up in unit container and,— (a) bearing a registered brand name; or (b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]” ;
-------	---------	---

(v) in S. No. 164, for the entry in column (3), the entry,

“ (a) kerosene oil PDS,

(b) The following bunker fuels for use in ships or vessels, namely,

i. IFO 180 CST

ii. IFO 380 CST”, shall be substituted;

(vi) after S. No. 181 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“181A	30	Medicaments (including those used in Ayurvedic, Unani, Siddha, Homeopathic or Bio-chemic systems), manufactured exclusively in accordance with the formulae described in the authoritative books specified in the First Schedule to the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) or Homeopathic Pharmacopoeia of India or the United States of America or the United Kingdom or the German Homeopathic Pharmacopoeia, as the case may be, and sold under the name as specified in such books or pharmacopoeia”;
-------	----	---

(vii) after S. No. 187 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“187A	3915	Waste, parings or scrap, of plastics”;
-------	------	--

(viii) after S. No. 188 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“188A	4004 00 00	Waste, parings or scrap of rubber (other than hard rubber)”;
-------	------------	--

(ix) after S. No. 191 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“191A	4017	Waste or scrap of hard rubber”;
-------	------	---------------------------------

(x) after S. No. 198A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“198 B	4707	Recovered waste or scrap of paper or paperboard”;
--------	------	---

(xi) S. No. 201A and entries relating thereto shall be omitted;

(xii) after S. No. 218 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“218A	5605 0010	Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread”;
-------	-----------	---

(xiii) in S. No. 219, in column (2), for the figure, “5705”, the figures “5702, 5703, 5705”, shall be substituted;

(xiv) after S. No. 228 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“228A	7001	Cullet or other waste or scrap of glass”;
-------	------	---

(xv) after S. No. 234 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“234A	84 or 85	E-waste <i>Explanation:</i> For the purpose of this entry, e-waste means electrical and electronic equipment listed in Schedule I of the E-Waste (Management) Rules, 2016, published in the Gazette of India vide G.S.R. 338 (E) dated the 23 <sup>rd</sup> March, 2016, including the components, consumables, parts and spares which make these products operational”;
-------	----------	---

(xvi) after S. No. 263A and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:-

“264	Any chapter	Biomass briquettes” ;
------	-------------	-----------------------

(B) in Schedule II-6%,—

(i) in S. No. 16, in column (3), for the words and brackets “Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas, mangoes and mangosteens, dried”, the words and brackets, “Dates (soft or hard), figs, pineapples, avocados, guavas and mangosteens, dried”, shall be substituted;

(ii) in S. No. 17, in column (3), for the words figure and brackets, “dried fruits of Chapter 8[other than tamarind, dried]”, the words, figure and brackets, “dried fruits of Chapter 8 [other than dried tamarind and dried chestnut (singhada) whether or not shelled or peeled]”, shall be substituted;

(iii) in S. No. 46, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -

“Namkeens, bhujia, mixture, chabena and similar edible preparations in ready for consumption form [other than roasted gram], put up in unit container and,—

(a) bearing a registered brand name; or

(b) bearing a brand name on which an actionable claim or enforceable right in a court of law is available [other than those where any actionable claim or any enforceable right in respect of such brand name has been voluntarily foregone, subject to the conditions as specified in the ANNEXURE]”;

(iv) S. No. 111 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(v) after S. No. 132 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

132A	5401	Sewing thread of manmade filaments, whether or not put up for retail sale
132B	5402, 5403, 5404, 5405, 5406	Synthetic or artificial filament yarns
132C	5508	Sewing thread of manmade staple fibres
132D	5509, 5510, 5511	Yarn of manmade staple fibres”;

(vi) in S. No. 137, in the entry in column (3), the words and figures “such as Real zari thread (gold) and silver thread, combined with textile thread),” shall be omitted;

(C) in Schedule III-9%,—

(i) in S. No. 16, in column (3), for the words “other than pizza bread”, the words, “other than pizza bread, khakhra, plain chapatti or roti”, shall be substituted;

(ii) in S. No. 23, in column (3), for the words “preparations in ready for consumption form”, the words, “preparations in ready for consumption form, khakhra”, shall be substituted;

(iii) after S. No. 54 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“54A	3213	Poster colour” ;
------	------	------------------



(iv) in S. No. 63, for the entry in column (3), the entry, “Modelling pastes, including those put up for children's amusement; Preparations known as “dental wax” or as “dental impression compounds”, put up in sets, in packings for retail sale or in plates, horseshoe shapes, sticks or similar forms; other preparations for use in dentistry, with a basis of plaster (of calcined gypsum or calcium sulphate)”, shall be substituted;

(v) S. No. 102 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S. No. 114, in column (3), for the words and brackets “Waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber) and powders and granules obtained therefrom”, the words and brackets “powders and granules obtained from waste, parings and scrap of rubber (other than hard rubber)” shall be substituted;

(vii) S. No. 158 and entries related thereto shall be omitted;

(viii) in S. No. 159, for the entry in column (3), the entry “All goods other than synthetic filament yarns”, shall be substituted;

(ix) in S. No. 160, for the entry in column (3), the entry “All goods other than artificial filament yarns”, shall be substituted;

(x) S. No. 164 and entries related thereto shall be omitted;

(xi) S. No. 165 and entries related thereto shall be omitted;

(xii) after S. No. 177 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“177A	6802	All goods other than:- (v) all goods of marble and granite; (vi) Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone”;
-------	------	---

(xiii) in S. No. 188, and entries relating thereto, shall be omitted;

(xiv) after S. No. 303 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“303A	8305	Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips, letter corners, paper clips, indexing tags and similar office articles, of base metal; staples in strips (for example, for offices, upholstery, packaging), of base metal”;
-------	------	---

(xv) after S. No. 308 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

“308A	84	Parts suitable for use solely or principally with fixed Speed Diesel Engines of power not exceeding 15HP
308B	84 or 85	Parts suitable for use solely or principally with power driven pumps primarily designed for handling water, namely, centrifugal pumps (horizontal and vertical), deep tube-well turbine pumps, submersible pumps, axial flow and mixed flow vertical pumps”;

(xvi) after S. No. 369 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely:—

“369A	8483	Plain shaft bearings”;
-------	------	------------------------

(D) in Schedule-IV-14%,—

(i) in S. No. 23, in column (3), for the words, “pans or in similar forms or packings”, the words and brackets, “pans or in similar forms or packings [other than poster colour]”, shall be substituted;

(ii) S. No. 34 and entries related thereto shall be omitted;

(iii) in S. No. 50, in column (3), for the words “including waste and scrap”, the words, “other than waste and scrap”, shall be substituted;

(iv) in S. No. 70, for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely:—

“All goods of marble or granite [other than Statues, statuettes, pedestals; high or low reliefs, crosses, figures of animals, bowls, vases, cups, cachou boxes, writing sets, ashtrays, paper weights, artificial fruit and foliage, etc.; other ornamental goods essentially of stone]”;

(v) S. No. 112 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(vi) in S. No. 135, in column (3), the words, “and plain shaft bearings”, shall be omitted;

(E) in ANNEXURE, after point (b), the following proviso shall be inserted

“Provided that, if the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name and the person undertaking packing of such goods in unit containers are two different persons, then the person having an actionable claim or enforceable right on a brand name shall file an affidavit to that effect with the jurisdictional Commissioner of Central tax or jurisdictional officer of Union Territory tax, of the person undertaking packing of such goods that he is voluntarily foregoing his actionable claim or enforceable right on such brand name as defined in Explanation (ii)(a); and he has authorised the person [undertaking packing of such goods in unit containers bearing said brand name] to print on such unit containers in indelible ink, both in English and the local language, that in respect of such brand name he [the person owning the brand name] is voluntarily foregoing the actionable claim or enforceable right voluntarily on such brand name.”

[F. No. 354/117/2017-TRU (Pt. III)]

RUCHI BISHT, Under Secy.

**Note :** The principal notification No.1/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017 and last amended by Notification No. 27/2017- Union Territory Tax(Rate) dated 22<sup>nd</sup> September, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number GSR 1195 (E), dated the 22<sup>nd</sup> September, 2017.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2017

सं. 35/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

**सा.का.नि. 1294(अ).—** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 711(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:--

उक्त अधिसूचना में,

(क) सारणी में,

(i) क्रम संख्या 122 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“122 क	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स”
--------	------	---------------------------

(ii) क्रम संख्या 149 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“150	-	केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय, जैसी भी स्थिति हो, से अनुदान के रूप में प्राप्त प्रतिफल के एवज में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र, स्थानीय निकाय या ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो, को किसी सरकारी निकाय द्वारा की जाने वाली वस्तुओं की आपूर्ति।”
------	---	---